

अनुमण्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णिया बिहार

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.-07/2020 / सी.आई.एस. क्र.-07/2020

अशोक कुमार चौधरी बनाम डेब्यू शर्मा द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
16/03/26	<p>वादी गण एवं प्रतिवादी संख्या 1 a b c , 11,12 एवं 14 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है शेष प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09/02/26 एवं 13/02/26 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी की ओर से पूर्व में अस्थायी व्यादेश हेतु आवेदन दिया गया है जो लंबित है तथा उक्त आवेदन के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए वड़भूमि के भौतिक स्वरूप हेतु प्रतिवेदन की मांग किया जाना आवश्यक है जिस हेतु वादी के द्वारा दिनांक 09/02/26 एवं 13/02/26 को आवेदन दिया गया है अतः निवेदन है अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा की जाय </p> <p>प्रतिवादी संख्या 1 a,b,c ,6,,8,11के द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया है कि पूर्व में भी वादी के द्वारा अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर प्रतिवेदन प्राप्त है वादी विलम्ब करने के आशय से बार बार एक ही आवेदन दे रहे हैं जिस कारण से वादी का यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है </p> <p>उभयपक्ष को सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा पूर्व में भौतिक सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया था जो स्वीकृत होकर अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट भी प्राप्त है परन्तु वर्तमान निर्माण कार्य प्रतिवादी सं. 8,12,13 कर रहे हैं अतः न्यायहित में वादी का यह आवेदन स्वीकृत किया जाता है वादी अधिवक्ता आयुक्त खर्च 15 00 रुपया जमा कर रसीद प्रस्तुत करे वाद दिनांक 17 /04/26 को वास्ते अग्र कार्यवाही हेतु नियत </p> <p>लेखापित-</p> <p>असैनिक न्यायाधीश(व.को.)</p> <p>बनमनखी, पूर्णिया</p>	